

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 03 / 2022 अंतर्गत धारा 90(ए)(9)एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/83



1. दुलीचन्द पति भगवानी पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलानी तहसील व जिला बीकानेर
2. लालचन्द पुत्र भगवानी पत्नी दुलीचन्द पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलानी तहसील व जिला बीकानेर
3. सुन्दरलाल पुत्र भगवानी पत्नी दुलीचन्द पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलानी तहसील व जिला बीकानेर
4. सीमा गहलोत पुत्री भगवानी पत्नी दुलीचन्द पुत्री मोडाराम पत्नी गोपीकिशन गहलोत पुत्री दुलीचन्द्र जाति माली निवासी पंवारसर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर जरिए मु.आम लक्ष्मण पुत्र श्री सालगराम गहलोत निवासी 2 ई-112 जयनारायण व्यास कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. जितेन्द्र सुराणा पुत्र स्व. माणकचन्द सुराणा जाति सुराणा निवासी ई-67 हनुमान पथ, श्याम नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. हरिराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. लूणी पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. गीता पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. पालू पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. कमा पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. अणची पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
8. संतोष पत्नी स्व गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. रतनलाल पुत्र गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. मूलचन्द पुत्र गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. गणेश पुत्र गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
12. किशोर पुत्र गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
13. पुष्पा पुत्री गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
14. मन्जू पुत्री गंगाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
15. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र भगवानाराम जाति ब्राह्मण निवासी सी-91 अग्रसेन नगर चुरु।
16. नवरतन शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सी-91 अग्रसेन नगर चुरु।
17. दीपक शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सी-91 अग्रसेन नगर चुरु।
8. सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थित: श्री सत्यनारायण तिवाड़ी
श्री सतपालसिंह शेखावत
श्री दिनेश गहलोत
श्री तेजकरण गहलोत

अभिभाषक अपीलांट
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स 1 एवं 15ता 17
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स 2 एवं 5
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स 5



निर्णय

दिनांक 06.07.2023

यह अपील राजस्थान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-बी(9) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 07.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि-

1- वादग्रस्त भूमि ग्राम किशमीदेशर के खसरा नंबर 1121/658 तादादी 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 659 तादादी 1.89 हैक्टर कुल 2.12 हैक्टर मोडाराम नाम खातेदारी भूमि थी। मोडाराम एवं रूखमण पत्नी मोडाराम के फौत होने के बाद गंगाराम, हरिराम पुत्र मोडाराम और लूणी, भगवानी, गीता, पालू, कम्मा, अणची पुत्रीयां मोडाराम तमाम वारिसान उक्त कृषि भूमि बहिस्सा बराबर हक निहित हुआ। मोडाराम के वारिसान में लूणी, गीता, पालू, कम्मा, अणची ने अपना-अपना हिस्सा अपने भाईयों गंगाराम व हरिराम को जरिए हक त्याग दिनांक 18.07.2007 को रिलीज कर दिया। हरिराम व गंगाराम के पक्ष में हुवे हक त्याग को अपीलांट द्वारा राजस्व न्यायालय में चुनौती दी गई जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गयी जिसे दिनांक 14.01.2013 को स्वीकार कर अपीलांटस का 1/3 हक व मोडाराम के वारिसान हरिराम व गंगाराम का सयुक्त रूप से 2/3 हक व हिस्सा घोषित किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.01.2023 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के अनुसार अपीलांट कानूनी 1/3 हक बनता है उक्त तमाम तथ्य छिपाकर लूणी, गीता, पालू, कम्मा व अणची पुत्रीयां मोडाराम द्वारा एक मु.आम बेबी पत्नी हरिराम को दिया गया। मु.आम बेबी पत्नी हरिराम ने मोडाराम की पांचों पुत्रीयों का सयुक्त रूप से हिस्सा हरिराम को गिफ्ट जरिये पंजीबद्ध उपहार विलेख कर दिया। जिसका इंतकाल संख्या 1101 दिनांक 12.08.2021 को स्वीकृत हुआ। हरिराम व गंगाराम के वारिसान द्वारा दिनांक 21.05.2021 को 0.755124 हैक्टर जो उनके हिस्से से अधिक था, का बैनामा महेन्द्र कुमार शर्मा, नवरतन शर्मा, व दीपक शर्मा का करवा दिया तथा शेष 0.6800 हैक्टर भूमि का बैनामा दिनांक 21.10.2021 रेस्पोंडेंट संख्या 1 जितेन्द्र सुराणा को करवा दिया। इस बैनामे के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 का खाता अलग कर दिया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 जितेन्द्र सुराणा ने 90 ए की कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास बीकानेर ने दिनांक 07.03.2022 को उक्त 0.68 हैक्टर भूमि ग्राम किसमिदेशर के खसरा नम्बर 1271/659 पर धारा 90ए के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम किशमीदेशर के खसरा नंबर 1121/658 तादादी 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 659 तादादी 1.89 हैक्टर कुल 2.12 हैक्टर मोडाराम नाम खातेदारी भूमि थी। मोडाराम एवं रूखमण पत्नी मोडाराम के फौत होने के बाद गंगाराम, हरिराम पुत्र मोडाराम और लूणी, भगवानी, गीता, पालू, कम्मा, अणची पुत्रीयां मोडाराम तमाम


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसान उक्त कृषि भूमि बहिस्सा बराबर हक निहित हुआ। मोडाराम के वारिसान में लूणी, गीता, पालू, कम्मा, अणची ने अपना-अपना हिस्सा अपने भाईयों गंगाराम व हरिराम को जरिए हक त्याग दिनांक 18.07.2007 को रिलीज कर दिया। हरिराम व गंगाराम के पक्ष में हुवे हक त्याग को अपीलांट द्वारा राजस्व न्यायालय में चुनौती दी गई जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गयी जिसे दिनांक 14.01.2013 को स्वीकार कर अपीलांटस का 1/3 हक व मोडाराम के वारिसान हरिराम व गंगाराम का संयुक्त रूप से 2/3 हक व हिस्सा घोषित किया गया। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास बीकानेर ने आदेश जैर अपील प्रदत्त करने से पूर्व अपीलांटस को बिना नोटिस दिये, तथा बिना सुने प्रदत्त किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत खिलाफ है। पिछले 15-20 सालों से पक्षकारों के मध्य मुकदमें बाजी चल रही है, लेकिन सारे तथ्यों को छिपाकर आदेश जैर अपील प्रदत्त किया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरुद्ध तरीके से भूमि को क्रय की तथा अपने पक्ष में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अलग खाता कायम करवाकर नगर विकास न्यास के समक्ष भू-रूपान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की सम्पूर्ण जांच नहीं की और ना ही उक्त भूमि के संबंध में हुए निर्णयों व तथ्यों की बाबत पता लगाया। रेस्पोंडेन्टस जितेन्द्र सुराणा वगैरह ने चलते मुकदमों व राजस्व मण्डल द्वारा प्रदत्त टी.आई आदेश के मौजूद रहते जो बैनामे करवाये तथा उन बैनामों के अनुशरण में जो इंतकाल 1101 एवं इंतकाल संख्या 1131 स्वीकृत हुए, उक्त दोनों इंतकालों की अपीले न्यायालय अति. कलक्टर बीकानेर में जैरकार थी। जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। वर्तमान में उक्त अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर पदेन लैण्ड रिकार्ड ऑफीसर को ट्रांसफर हो चुकी है, जो अब भी जैरकार है। रेस्पोंडेन्ट ने उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर आदेश जैर अपील प्राप्त किया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जितेन्द्र सुराणा द्वारा रेस्पोंडेन्ट हरिराम व गंगाराम के वारिसों से 0.6800 हैक्टर भूमि क्रय गई। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि थी जिसमें अन्य सहखातेदार काश्तकार भी सहकृषक थे जिनके मध्य कभी भी किसी भी नियमित राजस्व न्यायालय अथवा तहसील कार्यालय से खाता विभाजन नहीं हुआ था। पटवारी हल्का को जितेन्द्र सुराणा की भूमि का खाता बंटवारा करने का राजस्थान के किसी भी कानून में अधिकार नहीं था, ऐसे क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बनाये गये राजस्व रिकार्ड शून्य है। पटवारी हल्का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उत्कोच के वशिभूत होकर जो गैरकानूनी कार्य किया है। उसे दण्डित किये जाने का निवेदन है। सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा जैर अपील आदेश प्रदत्त करने से पूर्व राजस्व तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर से टाईटल आदि से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मगवाई। जब तक राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार ट्रायल कोर्ट दावे में अंतिम फैसला नहीं कर देती है तब तक आदेश जैर अपील को निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। रेस्पोंडेन्टस जितेन्द्र सुराणा वगैरह ने भूमि रूपान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वच्छ हाथों से न करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए, कानून के मूलभूत सिद्धान्तों की अनदेखी कर जैर अपील आदेश करवाया है। जो रेस्पोंडेन्टस के मैलाफाईड कन्डेक्ट को साबित करती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील को निरस्त फरमाया जावे एवं पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार बीकानेर के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने इस संबंध में निम्न रूलिंग्स का हवाला दिया है-

- 1- ए.आई.आर. 2007 राजस्थान पेज 73
- 2- आर.एल.डब्ल्यू 2013 (2) आर.जे पेज 1049
- 3- आर.एल.डब्ल्यू 2015 (2) आर.जे. पेज 1256


संभारतीय आयुक्त
बीकानेर





3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट 1 एवं 15 ता 17 श्री सतपाल सिंह शेखावत ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि तादादी 0.68 हैक्टर भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय-पत्र दिनांक 21.10.2021 को संलग्न आसा-पासा की पूर्व कब्जानुसार रेस्पोंडेंट संख्या 1 की खरीदशुदा है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की खरीदशुदा भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 1116 दिनांक 12.01.2022 दर्ज हो भू-अभिलेख जमाबंदी खाता संख्या 380 सम्वत 2074-2077 में नवीन खसरा नम्बर 1271/659 तादादी 0.68 हैक्टर अंकित हो उसी अनुरूप राजस्व अक्स में तरमीम कायम हुई। जो निरंतर आज दिनांक तक रेस्पोंडेंट संख्या 1 के शांति पूर्वक कब्जे में स्थित है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी उक्त वर्णित भूमि बाबत मातहत के समक्ष कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया अपनाई जाकर हुई जिसमें किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन/अतिलंघन नहीं रहा है। मातहत द्वारा सार्वजनिक नोटिस स्वरूप दैनिक युगपक्ष समाचार पत्र के प्रकाशन दिनांक 04.02.2022 में आमंत्रित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही कानूनन आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही कानूनन आपत्ति का अपीलाट्स को अधिकार रहा है। इसलिए भी अपील अपीलाट खारिज योग्य है। यहकि रेस्पोंडेंट संख्या 1, 15-17 सद्भावी क्रेता है। मातहत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष 90ए की कार्यवाही में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया। प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही के समय भूअभिलेख में विधिक अंकन रहा होने से रेस्पोंडेंट संख्या 1 कि खरीदशुदा भूमि बाबत नियमन कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक, प्रक्रियागत त्रुटि नहीं रही होने से भी अपील खारिज योग्य है। मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.10.21 संलग्न नक्शा व पूर्व कब्जानुसार होने से अभिलेख में अलग से खाता व अक्स कायम मिन खसरा विधिपूर्ण कानून सम्मत व राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू(लेण्ड रेकॉर्ड) रूल्स 1957 से रेस्पोंडेंट संख्या 1 के नाम के अंकन रहे है। अपीलाट्स Clean Hand से अदालत के समक्ष नहीं आये है। अपील अपीलाट्स Hidden agenda से प्रस्तुत की गई होने से भी खारिज योग्य है। भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार 90 ए की प्रक्रिया में भूमि विभाजन की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलाट्स लोकसस्टेण्डाई ना होने व मियाद प्रार्थना पत्र व संलग्न शपथ-पत्र तथा प्रस्तुत आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति में विरोधाभाषी कथन होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाट खारिज फरमावे।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट 2 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 5 श्री दिनेश गहलोट ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 07.03.2022 में रेस्पोंडेंट संख्या 1 जितेन्द्र सुराणा द्वारा खरीद शुदा भूमि को 90 ए के तहत कृषि से अकृषि में परिवर्तन करवाया गया है। अपील अपीलाट के माध्यम से इस आदेश को खारिज करवाने का निवेदन किया गया है, जबकि यह आदेश किस प्रकार से विधि विरुद्ध है, यह अपीलाट द्वारा अपने अपील मीमों में कही भी अंकित नहीं किया गया है और ना ही अपनी मौखिक बहस में भी यह कही नहीं कहा है कि 90ए का निर्णय किस प्रकार से नियम विरुद्ध है। अपील मीमों में तथ्य अंकित किये है उसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग की गई हैं जो इस न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती है। अपीलाटान द्वारा अपने अपील का मुख्य आधार राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर निर्णय दिनांक 14.01.2023 का लिया गया है। जबकि यह आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 23.01.2023 को खारिज कर दिया गया है इस लिए यह आधार पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई रिलिफ प्राप्त करने के अपीलाटान अधिकारी नहीं है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.01.2023 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के आदेश एवं सहायक कलक्टर बीकानेर के आदेश को निरस्त करते हुए पत्रावली सहायक कलक्टर बीकानेर को रिमाण्ड की गई है। जिसमें दोनों पक्षों के साक्ष्य सबूत लेकर अधिकारों का अंतिम निर्णय होना शेष है। यानि दावा विचाराधीन चला रहा है जिसमें समस्त अधिकारों का निर्णय होना है इस अपील के माध्यम से कोई भी निर्णय करवाने


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांटान को अधिकार नहीं है। अपीलांटान के वकील द्वारा लिसपेन्डेन्सी सहारा लेते हुए अपनी बहस में निवेदन किया और अपने कथनों के समर्थन रूलिंग भी प्रस्तुत की गई है, जो इस केस पर चर्चा नहीं होती क्योंकि रथगन आदेश प्रभाव में नहीं था और वाद वर्तमान में भी न्यायालय में चाराधीन चला आ रहा है, जिसमें अधिकारों का निर्णय होना शेष है। सलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में लिसपेन्डेन्सी की बाबत निर्णय दिया गया है। जिसके आधार पर लिसपेन्डेन्सी के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं। धीनस्थ न्यायालय द्वारा 90(ए) के तहत नियमानुसार 90(ए) के नियम 4,5,6 और 7 की पालना में राजस्व तहसीलदार, हल्का पटवारी से राजस्व रेकार्ड एवं का की जांच कर रिपोर्ट मगवाई गयी है तथा टाउन प्लानर से नक्शा तैयार करवाकर सार्वजनिक सूचना अखबार में साया करवाकर सम्पूर्ण कार्यवाही विधि मत् करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की गेई त्रुटि नहीं है, और ना ही अपीलांट द्वारा आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि की बाबत अपील बहस में कथन किया है और ना ही अपने अपील मीमो में ही कोई वर्णन अंकित किया है अतः निवेदन है कि अपील अपीलांटान उपरोक्त लिखित आधारों पर खारिज फरमाई जावें। रेस्पोजेन्ट संख्या 5 की और से श्री तेजकरण गहलोत भी जरिये वकालतनामा उपस्थित हुए। उन्होने रेस्पोजेन्ट संख्या 5 के अभिभाषक श्री दिनेश गहलोत द्वारा की बहस एवं लिखित बहस के संदर्भ में अपनी सहमति व्यक्त की।

5- हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मेयाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए अपील मियाद में शुमार की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम पक्षकार होने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 हरिराम द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 जितेन्द्र सुराणा को वादगत भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 सद्भावी क्रेता है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 हरिराम ने न्यायालय में वरवक्त बहस स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय को अवगत कराया की उक्त वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की और मैं काबिज हूं। यह अपील इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 90(ए)9 एल.आर.एक्ट 1956 में प्रस्तुत हुई है। जिसमें यह अवलोकन एवं मनन करना है की नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा दिनांक 07.03.2022 द्वारा विवादित भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु जो अनुज्ञा प्रदान की गई है वह नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर की गई है अथवा नहीं। हम नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 07.03.2022 में केसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा 90 (ए) के आदेश नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किये हैं। अतः नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। वातेदारी अधिकारों के संबंध में अन्य राजस्व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पारित अनुसार निर्णय हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीव तकमील लिखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को लिखवाया जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर